

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(46)/लेखा/आकाशि /स्कूटी/विधि/बजट घोषणा/ 2022-23/1305 दिनांक: 18/11/2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 57 की अनुपालना में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग के आई.डी. न. 152200202 दिनांक 02.03.2022 द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या 12180 से बढ़ाकर 20000 प्रतिवर्ष करने पर वित्त विभाग की सहमति प्रदान की गई जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 तक स्कूटियों की संख्या	वर्ष 2022-23 से स्कूटियों की संख्या
1.	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना- (i) उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु) (ii) अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) (iii) सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) (iv) अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग) (v) अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) (vi) अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) (vii) विमुक्त घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु छात्राओं हेतु	1690 1000 600 750 5000 1000 640	2775 1642 985 1232 8210 1642 1051
2.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	1500	2463
	योग	12,180	20,000

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(46)/लेखा/आकाशि /स्कूटी/विधि/बजट घोषणा/ 2022-23/1306-धर दिनांक: 18/11/2022
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, जयपुर।
7. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

18/11/22
मुख्य लेखाधिकारी